

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०

संख्या-एमई-3/2017/1034

लखनऊ:दिनांक- 04 अगस्त,2017

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-4059/71-2-2016-37/2016 दिनांक-22 सितम्बर,2016 द्वारा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों तथा निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित बी०डी०एस० पाठ्यक्रम की अस्थायी रूप से शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु अन्तरिम शुल्क फ्लैट दर से रू० 3,25,000/- (रू० तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) से अनधिक प्रति छात्र/प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था।

1- शासनादेश संख्या-2468/71 2-17-37/2015 दिनांक-14/07/2017 द्वारा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित बी०डी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए निम्नलिखित मेडिकल कालेजों हेतु शुल्क का निर्धारण किया गया है, निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं।

2- चूंकि शासनादेश संख्या-4059/71-2-2016-37/2016 दिनांक-22 सितम्बर,2016 द्वारा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों तथा निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित बी०डी०एस० पाठ्यक्रम की अस्थायी रूप से शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु अन्तरिम शुल्क फ्लैट दर से रू० 3,25,000/- (रू० तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) निर्धारित किया गया था। अतः शैक्षणिक सत्र 2016-17 में निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों से शासनादेश संख्या-2468/71 2-17-37/2015 दिनांक-14/07/2017 द्वारा बी०डी०एस० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित निम्नानुसार शुल्क लिया जायेगा।

क्र०सं०	संस्था का नाम	प्रति छात्र/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने वाला शुल्क (धनराशि रू० लाख में)
1	के० डी० डेण्टल कालेज, मथुरा	3.14
2	सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ	2.80
3	रामा डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर	2.90
4	स्कूल आफ डेण्टल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा	3.65
5	श्री बाकें बिहारी डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गाजियाबाद	3.60
6	चन्द्रा डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, बाराबंकी	1.37
7	इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल स्टडीज एण्ड टेक्नोलॉजी, मोदी नगर, गाजियाबाद	3.36
8	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, गाजियाबाद	1.66
9	इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, बरेली	3.48
10	कोठीवाल डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद	3.65
11	कालका डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ	1.81
12	बाबू बनारसी दास कालेज आफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ	1.37
13	सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ	1.37

अतः शैक्षणिक सत्र 2016-17 में निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों से शासनादेश संख्या-2468/71 2-17-37/2015 दिनांक-14/07/2017 द्वारा बी०डी०एस० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित उक्तानुसार शुल्क लिया जाना सुनिश्चित करें।



महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०-3/2017/1034(i)

तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2।
- प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, निजी क्षेत्र के समस्त डेण्टल कालेज, उ०प्र०।


(के० के० गुप्ता)
महानिदेशक